फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर बनाम श्रीमति सावित्री वगैरह

किस्म मुकदमा : रिव्यू प्रा.पत्र / विविध

अपील संख्या 01 / 2025

GCMS No. 2025 / 8

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
30.12.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने उक्त रिप्यू प्रार्थना–पत्र पर बहस में बताया कि प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 को 10 वर्षो से अधिक व्यथित होने के पश्चात माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई जो मियाद अधिनियम के तहत अपील उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नही थी। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 प्रकृति न्याय के आज्ञापक सिद्धातों के तहत विधिक के पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर पारित किया गया है जो उचित व व्यधीय है। उक्त प्रकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2013 जो कि ग्राम नत्थूसर में खसरा नंबार 36,60,214 / 60,222 / 181 व ग्राम करमीसर में खसरा नंबर 88 / 37 / 1(2 बीघा) 112, 117, 119, 225 / 1, 227 / 1, 229 / 92 एवं ग्राम चकग्रर्बी 676, ग्राम शहर स्वरूपदेसर 41, ग्राम किसमीदेसर 582 / 584, ग्राम उदासर 209 (4 बीघा) 216(4 बीघा) 239(4 बीघा) पारित किया है जो कि 90–क भू–राजस्व अधिनियम, के तहत धारा की परिधि में आता है अर्थात भूमि की मूल प्रकृति में परिवर्तत खातेदारन द्वारा किये जाने पर ऐसी भूमि उक्त अधिनियम के विहित प्रावधानों के अनुसार न्यास पक्ष में नियत किये जाने की शक्ति सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर को प्राधिकृति अधिकारी के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रदत की है। इन प्रदत शक्तियों के तहत पारित आदेश 90–क विधि अनुसार एवं व्यधीय है। नगर विकास न्यास बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2013 में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक बार भूमि राज्य पक्ष में पुनः गहित होने एवं खातेदारने के खातेदारी अधिकारों का परियासन हो जाने पर ऐसी भूमि को जिसकी प्रकृति खातेदारने द्वारा परिवर्तित की गइ है जो राज्य पक्ष में नही होने से पुनः खातेदार के हक में उसके खातेदारी अधिकार पूर्ववत बहाल नही किये जा सकते इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधि की भार भूल की है। नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 05.04.2013 के संबंध में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2023 विधि के आज्ञापक सिद्धांतों की अनदेखी कर पारित किया गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 1989 पार्ट 2 पेज 380–384 प्रस्तुत किया। अतः विधि के प्रावधानों के अनुसार रिव्यू किये जाने योग्य है आदेश दिनांक 10.04.2023 रिव्यू फरमाते हुए पुनः प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास बीकानेर परिवर्तित नाम बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर को रिमाण्ड फरमावें जावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना–पत्र पर बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2023 के विरूद्ध उक्त रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो मियाद बारह प्रस्तुत	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया गया है। प्रार्थी को उक्त रिव्यू प्रार्थना–पत्र आदेश के 30 दिवस में प्रस्तुत करना चाहिए था उक्त प्रार्थना–पत्र स्पष्टतः मियाद बारह हैं। माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में रोही नत्थूसर के खसरा नंबर 36, 60, 214/60, एवं 222/181 में प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास के आदेश दिनांक 05.04.2013 की 90ए की कार्यवाही को विधिसम्मत प्रक्रिया किए बिना ही पारित किया गया बताते हुए अप्रार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2013 को अपीलांट की हद तक निरस्त कर दिया। माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2023 विधि अनुसार जानी किया गया था क्योकि प्राधिकृति अधिकारी ने अपने आदेश में मे लिखा है कि ''आवेदको ने आवेदन के साथ नवीनतक प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक, रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ–पत्र, की–मेप, अभिन्यास योजना सर्वेक्षण नक्शा एवं अन्य सुसगंत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं'' जो कि बहुत की हास्यास्पद है। क्योकि अप्रार्थी एवं उनके पूर्वजों के द्वारा कभी भी नगर विकास न्यास के समक्ष अपनी कोई योजना का नक्शा पास करने हेतु प्रस्तुत नही किया और ना ही 90ए का प्रार्थना–पत्र किया। अप्रार्थी एवं पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में होते हुए भी उन्हें पक्षकार बनाये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये नगर विकास न्यास ने आदेश दिनांक 05.04.2013 पारित किया। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने विधि अनुसार आदेश पारित किया है। अत प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावें।

हमने उक्त रिव्यू प्रार्थना–पत्र एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त रिव्यू प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। इस न्यायालय ने उक्त प्रकरण में वादगत कृषि भूमि रोही नत्थूसर के खसरा नंबर 36, 60, 214/60, 222/181 की 90ए की कार्यवाही को विधि सम्मत प्रक्रिया नही अपनाने के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास बीकानेर का आदेश दिनांक 05.04.2013 निरस्त का दिया था। प्रार्थी यह भी साबित करने में असफल रहा कि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास बीकानेर का आदेश दिनांक 05.04.2013 को जारी करने में विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया है, इसलिए प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना–पत्र में उठाये गये तथ्यो से हम सहमत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर